PAGE 1 OF 3	अभियोजन साक्षी संख्याः 04

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1963/2024		
राज्य	**बनाम**	शिवदत्त उर्फ छोटू आदि

नाम साक्षीः अभिनय कुमार चतुर्वेदी पुत्र बृजेश चतुर्वेदी	अपराध संख्या-381/2024
उम्रः लगभग 33 वर्ष, पेशाः नायब तहसीलदार	धारा- 80(2), 85, 3(5), 92 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा-3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः तहसील भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात	थाना-रसूलाबाद, कानपुर देहात

दिनांकः-23.01.2026

मैं **साक्षीः अभिनय कुमार चतुर्वेदी पुत्र बृजेश चतुर्वेदी, उम्रः लगभग 33 वर्ष, पेशाः नायब तहसीलदार, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः तहसील भोगनीपुर, जनपद-कानपुर देहात** शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि.....

1. दिनांक 10.09.2024 को मैं तहसील रसूलाबाद में नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था। उसी दिन सुबह समय 07:50 AM बजे उपजिलाधिकारी रसूलाबाद, कानपुर देहात द्वारा जरिए फोन से मुझे सूचना दी गयी थी कि मृतका अनुराधा पत्नी शिवदत्त उर्फ छोटू पुत्री रामगोपाल राजपूत, उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी ग्राम उसरी भगवंतपुर, थाना-रसूलाबाद, जनपद-कानपुर देहात की मृत्यु हो गयी है। आप जाकर पंचनामा की कार्यवाही संपन्न करायें।

2. उपर्युक्त सूचना पाकर मैं ग्राम उसरी भगवंतपुर स्थित मृतका के घर पर सुबह लगभग साढ़े नौ बजे पहुँच गया था। मृतका का शव घर के पक्के बरामदे में जमीन पर रखा हुआ था। मृतका के परिजन मौजूद थे। प्रभारी निरीक्षक रसूलाबाद व चौकी प्रभारी कहिंजरी मय हमराहियों के मौजूद थे। गाँव के काफी लोग एकत्र थे। फोरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद थी।

3. वहाँ पर मौजूद परिजनों में से पंच नियुक्त कर उसी दिन समय 09:45 AM पर मेरे द्वारा पंचनामा की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी थी। मृतका के शव का नियमानुसार पंचनामा किया गया था।

4. मृतका के शव का सीलसर्वमुहर कराया गया था। मृतका की पंचनामा रिपोर्ट मैंने बोलबोलकर उ०नि० योगेन्द्र कुमार शर्मा से लिखवायी थी। पंचनामा रिपोर्ट पर मैंने अपने हस्ताक्षर किये थे। पत्रालवी में उपलब्ध मूल पंचनामा रिपोर्ट को देखकर साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श P-2** अंकित किया गया।

5. सी०एम०ओ० चिट्ठी, पुलिस फॉर्म सं०-33, चालान नाश, फोटोनाश पर भी मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिन पर क्रमशः **प्रदर्श P-3 लगायत प्रदर्श P-6** अंकित किया गया। पंचनामा की कार्यवाही दिनांक 10.09.2024 को समय 10.35 AM पर समाप्त हो गयी थी।

6. मृतका का शव, पंचनामा रिपोर्ट व अन्य दीगर प्रपत्र आरक्षी विनोद कुमार को सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु रवाना किया गया था। मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर आरक्षी विनोद कुमार के हस्ताक्षर बनवाये थे।

7. पुलिस ने मुझसे पूछताछ की थी।

प्रतिपरीक्षा

8. पंचनामा मेरे हस्तलेख में नहीं है बल्कि मेरे द्वारा बोलने पर लिखा गया था। मुझे जानकारी नहीं है कि पंचनामा करते समय एफआईआर दर्ज हुई थी या नहीं। पंचनामा पर अपराध संख्या अंकित नहीं है। यह बात सही है कि यदि पंचनामा करने से पूर्व एफआईआर दर्ज हुई होती तो अवश्य ही पंचनामा पर अपराध संख्या व धारा अंकित होती।

9. मौजद लोगों में से ही मैंने पंच नियुक्त किये थे लेकिन मैं यह नहीं बता सकता हूं कि पंच, मृतका के मायके के थे या नहीं।

10. मैंने पंचनामा पर यह बात दर्ज की है कि "फील्ड यूनिट टीम द्वारा कमरे का दरवाजा खोलकर मृतका के शव को छत के कुंडे से उतारकर आवश्यक कार्यवाही हो चुकी है।"

पंचनामा में मेरे द्वारा यह भी दर्ज किया गया है कि मृतका के मायके से पुत्तीलाल (दाऊ), अशोक कुमार (पूर्व प्रधान), सोबरन (चाचा), रामप्रकाश, सोमकली पत्नी सोबरन, कलावती पत्नी रामप्रकाश मौजूद हैं।

11. मेरे द्वारा मृतका के शरीर पर गले की चोट के अलावा और कोई चोट नहीं पायी गयी। मृतका अपने शरीर में जेवर व चूड़ियाँ पहने हुई थी। पंचनामा के पंचों द्वारा मुझे किसी भी अभियुक्त का नाम नहीं बताया गया। पंचनामा लगभग पैंतालीस से एक घंटे का समय लगा था। पंचनामा किये जाने से पूर्व थाना प्रभारी रसूलाबाद एवं फील्ड यूनिट टीम आ चुकी थी।

12. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा विधिक रुप से पंचनामा की कार्यवाही संपादित न की गयी हो।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
लिपिक द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS